



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1555]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 24, 2015/श्रावण 2, 1937

No. 1555]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 24, 2015/SHRAVANA 2, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2015

आय-कर

का.आ. 2031(अ).—केंद्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 48 के स्पष्टीकरण के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना संख्या का.आ. 709(अ), तारीख 20 अगस्त, 1998 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

2. उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्यांक 34 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष	लागत मुद्रा स्फीति सूचकांक
(1)	(2)	(3)
"35	2015-16	1081"

[अधिसूचना. सं. 60/2015/फा.सं. 142/10/2015-टीपीएल]

गौरव कनौजिया, निदेशक

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में सं. का.आ. 709(अ), तारीख 20 अगस्त, 1998 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन सं. का.आ. 1498(अ), तारीख 11 जून, 2014 द्वारा किया गया ।